उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
(कार्मिक अनुभाग–एक)
संख्या 5200-सी /उ0नि0(एक)–15/2017–18
दिनांकः देहरादूनः मार्च, 13 ,2018

कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4775–सी/उ0नि0(एक)–15/2017–18, दिनांक 14 फरवरी, 2018 द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2018" की धारा–5 के तहत विभाग के विभिन्न कार्यालयों को सुगम/दुर्गम क्षेत्र में चिन्हित किया गया है, जिसके अनुसार जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी) दुर्गम क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। शासन के पत्र संख्या 444/VII-2.17/19(15)–एम0एस0एम0ई0/2017, दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा उक्त कार्यालय को सुगम क्षेत्र में चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी) को "दुर्गम क्षेत्र" के स्थान पर "**सुगम क्षेत्र** " में चिन्हित किया जाता है।

3– उक्तानुसार संशोधित चिन्हीकरण के फलस्वरूप उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 फरवरी, 2018 के प्रस्तर–2 को निम्नानुसार पढ़ा जायः–

"जनपद पौड़ी गढ़वाल, जनपद टिहरी गढ़वाल(नरेन्द्रनगर को छोड़कर) एवं जनपद नैनीताल (नैनीताल, भीमताल एवं इनके आस–पास के क्षेत्रों को छोड़कर) में स्थित जिला उद्योग केन्द्रों के किसी कार्मिक को यदि फील्ड स्तरीय कार्यों के सम्पादन हेतु सम्बन्धित जनपद के पर्वतीय क्षेत्र के ब्लाक/तहसील स्तर पर नियमित रूप से तैनात करते हुए, उसका मुख्यालय भी वहीं पर निर्धारित किया जाता है तो ऐसी स्थति में सम्बन्धित कार्मिक की यह तैनाती दुगर्म क्षेत्र में मानी जायेगी।

4– उक्त वर्णित ज्ञाप कार्यालय 14 फरवरी, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सौजन्या)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
2. उप निदेशक, सूचना एवं प्राद्यौगिकी अनुभाग, उद्योग निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेवसाइड में प्रदर्शन करना सुनिश्वित करें।
3. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. नोटिस बोर्ड।

(के0के0कोटनाला)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।